

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भंवरलाल बनाम कमला वगैरह

किस्म मुकदमा- 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या - 75/2025 (मसूदा)

क्षेत्राधिकार में पोषणीय
नहीं होने के खारिज
24/01/2025

श्री ज्ञानचंद गदिया

24.01.2025

भंवरलाल बनाम कमला वगैरह (2025/75)

यह अपील श्री ज्ञानचंद गदिया एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 131/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के पुस्त पर की गई रिपोर्ट में क्षेत्राधिकार के बारे में यह नोट अंकित किया गया कि बहस आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांत को अपील के क्षेत्राधिकार पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांत के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 131/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06.11.2024 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये तथा दिनांक 19.12.2024 को वकील वादीगण की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर मूल वाद को रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये गये हैं। सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 01(ग) में अंकन है कि वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामलों में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया हों। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. को स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो कि सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1 के तहत हाजा न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

अतः अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, नम्बर से की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर